रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 13.

July to Dec

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 38] शिमला, शनिवार, 7 जुलाई, 1990/16 आषाढ़, 1912 [संख्या 27

विषय सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	698—711 तथा 725—726
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	712—713 तथा 726
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	713—718
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	718—725
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

7 जुलाई, 1990/16 आषाढ़, 1912 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या कृषि-एफ0-7 (2)/86-3, दिनांक, 11 जून, 1990.	कृषि विभाग	भारत सरकार कृषि मन्त्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के आदेश का0 आ0 संख्या-140 (अ) दिनांक 12 फरवरी, 1990 का अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन।
क्र0 सं0 एफ0 डी0 एस0 कैनर (एफ0) (10)-92/86, दिनांक 26 जून, 1990.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	कार्यालय अधिसूचना क्र0 सं0 एफ0 डी0 एस0 कैनर (एफ0) 10-92/86-2473-88, दिनांक 28 मई, 1990 का प्रसंग जारी रखते हुए, उपवाक्य 3, क्र0 सं0 17 में दर्शाए गए दुकानदार को मिट्टी तेल का राशन कार्ड पर वितरण हेतु सम्मिलित करने का आदेश।
संख्या 3-162/82-सी0 एस0, दिनांक 23 जून, 1990.	कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, सोलन जिला, सोलन (हि0 प्र0)	आदेशों की अनुसची संख्या में दर्ज वस्तुओं का समस्त करों सहित अधिकतम परचून दरों का निर्धारण बारे अधिसूचना।
संख्या गृह (क)-एफ0(13)-6/89, दिनांक 29 जून, 1990	गृह विभाग	अधिसूचना संख्या गृह (क)-एफ0 (13)-6/89, दिनांक 6-4-90 के संदर्भ में तथा अधिसूचना संख्या 11-6/67-11, दिनांक 3-5-88 में जिला ऊना के पूर्व परिभाषित क्षेत्र में जुलाई, 1990 से जून 1991 तक फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास को प्राधिकृत करना।
No. FDS-KNR (F) (10) 92/84, dated the 22nd June, 1990.	Office of the District Magistrate, Kinnaur District, Reckong Peo (H.P.)	Fixing the wholesale and retailsale rates of superior kerosene oil.
संख्या 4-6/87 एल0 ई0 पी0-4, दिनांक 26 जून, 1990.	श्रम विभाग	हिमाचल प्रदेश शाप्स एण्ड कमर्शियल एसटैबलिशमैंट ऐक्ट 1969 (1970 का 10) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम की सभी स्थापनाओं को एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट बारे अधिसूचना उसके अंग्रेजी रूपान्तरण सहित।
संख्या 5-3/83-टी0 डी0 (सचि0)-I, दिनांक 27 जून, 1990.	पर्यटन विभाग	हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन आफ होटलस् एण्ड ट्रैवल ऐजेन्टस ऐक्ट, 1970 (1970 का 22) की धारा 18 व 41 के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में अस्थाई तौर पर के बारे अधिसूचना उसके अंग्रेजी रूपान्तरण सहित।

1919-राजपत्र/90-7-7-90—1,227.

मूल्य: 2.50 रुपये।

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 4th May, 1990

No. HHC/GAZ/14-186/88-6564.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to grant 13 days' earned leave *w.e.f.* 7-5-1990 to 19-5-1990, with permission to avail Sundays falling on 6th and 20th of May, 1990 respectively, in favour of Shri M.R. Chaudhary, District and Sessions Judge, Solan.

Certified that Shri M. R. Chaudhary is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds to avail leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri M. R. Chaudhary would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Deputy Registrar (Admn.).

Shimla-1, the 29th May, 1990

No. HHC/Admn. 6-20/77-IX-7642.—The Hon'ble the Chief Justice and the Judges are pleased to declare Tuesday, the 5th June, 1990 as a closed holiday to be observed by the Subordinate Courts located within the Districts of Kangra and Chamba in order to make it convenient for every voter to exercise his/her right of franchise on that polling day in the bye elections to the Kangra Parliamentary Constituency and Palampur Himachal Pradesh Vidhan Sabha Constituency.

By order,
M.R. VERMA,
Registrar.

Shimla-1, the 29th May, 1990

No. HHC/Admn. 3 (69) /75-7652.—The Hon'ble the Chief Justice is pleased to order the retirement of Shri Virendra Singh, Reader, High Court of Himachal Pradesh, Shimla after attaining the age of Superannuation on and with effect from 31-5-1990 (A. N.).

By order

Sd/-
Additional Registrar (Admn.).

Shimla-1, the 25th June, 1990

No. HHC/15-2/Jus/S/90-9909.—It is hereby notified that the Hon'ble Mr. Justice Devinder Gupta has assumed the office of the Judge of the High Court of Himachal Pradesh in the afternoon of June 25, 1990, in pursuance of Notification No. K. 13019/1/89-Desk-II dated June 20, 1990, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, New Delhi.

Shimla-1, the 25th June, 1990

No. HHC/15-3/Jus/S/90-9933.—It is hereby notified that the Hon'ble Justice Miss Kamlesh Sharma has assumed the office of the Additional Judge of the High Court of Himachal Pradesh in the afternoon of June 25, 1990. in pursuance of Notification No. K. 13019/1/89-Desk-II dated June 20, 1990, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, New Delhi.

Shimla-1, the 25th June, 1990

No. HHC/15-4/Jus/S/90-9833.—It is hereby notified that the Hon'ble Mr. Justice Dharam Paul Sood has assumed the office of the Additional Judge of the High Court of Himachal Pradesh in the afternoon of June 25, 1990, in pursuance of Notification No. K. 13019/1/89-Desk-II, dated, June 20, 1990, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, New Delhi.

By order,
M.R. VERMA,
Registrar.

Shimla-1, the 22nd June, 1990

No. HHC/GAZ/1-1/74-III-9615.—Consequent upon the creation of a post each of Reader and Private Secretary with effect from the date of assumption of charge by the 7th Judge of this Hon'ble High Court, the Hon'ble the Chief Justice is pleased to appoint/promote the following officials of this Court purely on an *ad hoc* basis against the posts shown against their names from the date the 7th Judge assumes the office:—

1.	Shri Janki Ram Sharma, Deputy Superintendent (on *ad hoc* basis).	As Reader in the pay scale of Rs .2000—3500 + Rs.300/- S. P.
2.	Shri M. L. Sharma, Personal Assistant.	As Private Secretary in the pay scale of Rs. 2000—3500 + Rs. 300/- S.P.

The above *ad hoc* appointment/promotions shall not confer any right, whatsoever, upon the incumbents to claim the post (s).

By order,
Sd/-
Additional Registrar (Admn.).

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि0-I)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 19 जून, 1900

संख्या 1-15/73-डी0पी0 कार्मिक.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जी0 एस0 गिल, भा0 पु0 से0, प्रबन्धक निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति विकास निगम, सोलन को प्रबन्धक निदेशक महिला विकास निगम, सोलन, हिमाचल प्रदेश के पद पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के सहर्ष आदेश जारी करते हैं ।

आदेश द्वारा,
मधु सुदन मखर्जी,
मुख्य सचिव ।

कृषि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171 002, 15 जून, 1990

संख्या एग्र0बी0-3(2)/87.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री डी0 सी0 ठाकुर, संयुक्त निदेशक (कृषि), हिमाचल प्रदेश के अधि-वार्षिता (सुपरान्वेशन) आयु प्राप्ति पर दिनांक 31-3-91 (अपराह्न) से सेवा निवृति के सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-171 002, 16 जून, 1990

संख्या एग्र0 बी0 3(4)/84.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश,

श्री पी० के० कोछड़, उप निदेशक (कृषि) कुल्लू, हि० प्र० के अधि-वार्षिता (सुपरानुवेशन) आयु प्राप्ति पर दिनांक 30-11-1990 (अपराह्न) से सेवा निवृति के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
सचिव ।

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 जून, 1990.

संख्या ए०एच०वाई०-बी० (3)-2/87.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, डा० संजीत कटोच, बैटनरी आफिसर का सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दिनांक 22-5-90 (पूर्वाह्न) इस शर्त पर स्वीकार करने के सहर्ष आदेश देते हैं कि उक्त डा० दिनांक 22-4-94 तक हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की सेवा करने के लिए बन्धित (Binded) रहेंगे ।

हस्ताक्षरित,
सचिव ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 18 जून, 1990

संख्या एफ०डी०एस०ए०(4)6/87.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 1-6-90 के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 68) की धारा 7 की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित को हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतितोष "राज्य परिषद्" में गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:—

1. श्रीमती विद्या स्टोक्स, विधायिका, भूमियों हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 । ..सदस्य
2. श्री सतपाल कम्बोज, विधायक, धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि०प्र०) । ..सदस्य
3. कुमारी श्यामा शर्मा, विधायिका, नाहन, जिला सिरमौर, (हि०प्र०) । ..सदस्य
4. श्री दिले राम, विधायक, नाचन, जिला मण्डी, (हि०प्र०) । ..सदस्य ।

2. राज्य परिषद् की अवधि तीन वर्ष होगी ।

3. राज्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी ।

4. राज्य परिषद् का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की अभिवृद्धि और संरक्षण करना होगा जैसे:—

(क) जीवन और सम्पत्ति के लिए संकटमय माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार,
(ख) माल की गुणवत्ता, परिमाण, समता, शुद्धता, स्तर और कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार जिसमें उपभोक्ता को नावाजिब व्यापार से बचाया जा सके,
(ग) जहां तक सम्भव हो प्रतियोगी कीमत पर, माल की किस्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार,
(घ) सुनवाई और यह सुनिश्चित करने का अधिकार की समुचित फोरम पर उपभोक्ताओं के हितों पर सम्यक रूप से विचार किया जाये,
(ङ) नावाजिब व्यापार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण क विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार, और
(च) उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार ।

गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे ।

शिमला-2, 20 जून, 1990

संख्या एफ० डी० एस०-सी० (5)-1/80-III.—हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति नियम के ज्ञापन के अनुच्छेद के नियमों 102(3) तथा 102(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मण्डल में सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निदेशक के रूप में सरकारी तौर पर तत्काल दो वर्ष के लिऐ अथवा जब तक यह अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर आसीन हैं तब तक के लिये सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री मधु सुदन मुखर्जी, भा० प्र० से० मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. श्री एस० एस० कंवर, भा० प्र० से० आयुक्त एवं सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. श्री के० सी० शर्मा, भा० प्र० से० आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
4. श्रीमती सरोजनी ठाकुर, भा० प्र० से० पंजीयक, सरकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश ।

आदेश द्वारा,
के० सी० शर्मा,
आयुक्त एवं सचिव ।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 1990

संख्या ज० ज (8) 5/87-शिक्षा-ग.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भंगरोट, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक पाठशाला भंगरोट, जिला मण्डी के लिए अतिरिक्त आवास के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि-अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससें सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों क अन्तर्गत जारी की जाती हैं।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस द्वारा उपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन-सनाहर्ता, उप-मण्डल अधिकारी (सिविल), मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

तहसील : सदर जिला मण्डी

मुहाल	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वां0
1	2	3	4	5
भंगरोटू	397	0	5	0
	किता . . 1	0	5	0

आदेश द्वारा,
के0 सी0 शर्मा,
आयुक्त एवं सचिव ।

वित्त विभाग
(कोष तथा लेखा संगठन)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 1990

संख्या 17-पी0 एफ0/72-फिन (टी0 एण्ड ए0).—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री भूपेन्द्र पाल टण्डन, जिला कोषाधिकारी, कुल्लू, राजकीय सेवा से अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-7-90 (बाद दोपहर) सेवा निवृत होंगे ।

कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

सामान्य प्रशासन विभाग
(ख-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जून, 1990

संख्या जी0 ए0 बी0-2 बी0(1)-15/89.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी0ए0बी0-2 बी0(1)-15/89, दिनांक 2-11-89 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 के अधिनियम संख्या 37) तथा 1974 में संशोधित अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सांख्यिकीय अधिकारी के स्थान पर सभी जिला राजस्व अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में अतिरिक्त जनगणना अधिकारी, जनगणना करने तथा पर्यवेक्षण में सहायता करने के लिए तत्काल सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

आदेश द्वारा,
मधु सुदन मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(B-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th June, 1990

No. GAB-2B(1)-15/89.—In partial modification of this department notification of even number, dated 2-11-1989, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Census Act, 1948 (Act No. 37 of 1948) as amended in 1974, is pleased to appoint all the District Revenue Officers in place of District Statistical Officers, as Additional District Census Officers, to take or aid in supervision of Census with their jurisdictions with immediate effect.

By order,
M. S. MUKHERJEE,
Chief Secretary.

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 20 जून, 1990

संख्या उद्योग-II (ख) 1-1/82.—इस विषय से सम्बन्धित इस विभाग द्वारा जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं, जिनके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मण्डल का गठन किया गया का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के आर्टिकल्ज आफ एसोसिएशन की धारा 82 के अन्तर्गत उक्त निगम के निदेशक मण्डल का निम्न प्रकार से पुनः गठन 3 वर्षों के लिए करने के तत्काल सहर्ष आदेश देते हैं :—

1. श्री किशोरी लाल, उद्योग मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।	अध्यक्ष
2. श्री ए0 एन0 विद्यार्थी, वित्तायुक्त (विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार ।	निदेशक
3. श्री हर्ष गुप्ता आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार ।	निदेशक
4. श्री शमशेर सिंह, आयुक्त एवं सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ।	निदेशक
5. श्री आर0 एन0 बंन्सल, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, शिमला-1.	निदेशक
6. श्री जे0 पी0 नेगी, निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 :	निदेशक
7. श्री रवी डिंगरा, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ।	निदेशक
8. श्री अरीन्द्रजीत लैहरी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मनोनीत व्यक्ति ।	निदेशक
9. उप-सचिव (उद्योग), भारत सरकार औद्योगिक विकास मन्त्रालय ।	निदेशक ।

2. जहां तक गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का प्रश्न है उस बारे अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

शिमला-2, 20 जून, 1990

संख्या 2-35/69-एस0 आई0 (एस0 एस0 आई0 ई0 सी0).—इस विषय से सम्बन्धित इस विभाग की पूर्व समस्त सम-संख्यक अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के आर्टिकल्ज आफ एसोसिएशन की धारा 63 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के निदेशक मण्डल में बतौर निदेशक अध्यक्ष पद पर तत्काल नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

1. श्री किशोरी लाल, उद्योग मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।	अध्यक्ष
2. श्री हर्ष गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार ।	निदेशक
3. श्री दीपक सानन, संयुक्त सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ।	निदेशक
4. श्री जे0 पी0 नेगी, निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश ।	निदेशक
5. कुमारी हरिन्द्र हिरा, प्रबन्धक निदेशक, राज्य लघु उद्योग निगम एवं निर्यात निगम ।	निदेशक

2. जहां तक गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का प्रश्न है उस बारे अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

शिमला-2, 20 जून, 1990

संख्या उद्योग-II(छ) II-4/80-II.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनायें दिनांक 27-2-86, 7-4-86, 28-6-86, 28/29-10-86, 5-1-88, 6-9-88 व 29-5-89 का अधिक्रमण करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथ-करघा निगम के आर्टिकल्ज आफ एसोसियेशन की धारा 67 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हस्त-शिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मण्डल में बतौर निदेशक के पद पर नियुक्त करने के तत्काल सहर्ष आदेश देते हैं :—

1. श्री ए0 एन0 विद्यार्थी, वित्तायुक्त (जन जातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार।	निदेशक
2. श्री हर्ष गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।	,,
3. कुमारी विमला भगत, प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम।	,,
4. श्री जे0 पी0 नेगी, निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश।	,,
5. श्रीमती सरोजनी ठाकुर, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश।	,,
6. श्री दीपक शानन, संयुक्त सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार।	,,

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का प्रश्न है उस बारे अलग से कार्यवाही की जा रही है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 जून, 1990

संख्या सिंचाई II-104/89-शिमला.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जंगल मेहदूदा कांगर, तहसील ठियोग, जिला शिमला में पानी के टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विनिर्देश

जिला: शिमला तहसील: ठियोग

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0
1	2	3	4
जंगल	29	0	1
महदूदा	30	0	3
कांगर	31	0	3
	किता .. 3	0	7

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 महोपात्र,
सचिव।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 15*th September*, 1989

No. 19-8/88 Shram.—Whearas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial disput between the Khana Watches Karamchari Sangh and the management of M/s Khanna Watches Ltd., Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under Secrion 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Industrial Tribunal, Himachal Pradesh for adjudication;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, (Act No. 14 of 1947) hereby orders reference of this case to the Industrial Tribunal, Himachal Pradesh, constituted under Section 7-A of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication on the following issues :—

1. "Whether the demands raised by Khanna Watches Karamchari Sangh vide demand notice dated 15-5-89 (Demand Notice enclosed) submitted to the management of M/s Khanna Watches Ltd., Parwanoo, District Solan are legal and justified? If so, which of them should be agreed upon by the management ?"

2. "Whether the action of 313 workman for proceeding on strike *w. e. f.* 25-7-89 and sitting on dharna outside the factory is legal ? If so, whether the concerned workmen are liable for wages from 25-7-89 or not?"

3. "Whether the enclosed letter addressed to the Labour Officer, Solan, by the management is maintainable ?"

By order,
O. P. YADAV,
Commissioner-cum-*Secretary*.

मजदर-एकता-जिन्दाबाद
खन्ना वाचिज कर्मचारी संघ
(रजि0 नं0 103)
परवाणु, जिला सोलन (हि0प्र0)

सेवा में

महा प्रबन्धक,
खन्ना वाचिज लि0 परवाणु (हि0 प्र0)

विषयः- मांग पत्र (DEMAND NOTICE)

श्री मान जी,

यूनियन व मैनेजमैंट में हुआ समझौता दिनांक 16-6-1989 को खत्म होन जा रहा है। जनरल हाऊस क आदशानुसार यूनियन

मजदूरी की निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष रख रही है।

1. बसिक तन्खाह में 450 रुपये की बढ़ौतरी की जाये तथा इन्करीमैंट का रेट कम से कम 60 रुपये होना चाहिए।
2. मंहगाई भत्ते में 200 रुपये की बढ़ौतरी की जाये तथा 1960 का आधार मानकर 2 रुपये प्रति अंक के हिसाब से मंहगाई भत्ता दिया जाये।
3. I. T. I. तथा Non-I. T. I. का प्रोमोशन पालिसी बनाई जाए जिसमें हर तीन साल बाद ग्रेड रिवाईज हो।
4. L.T.A. 1500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाये तथा सिफ्ट अलाऊन्स B सिफ्ट में 3 रुपय, सी शिफ्ट में 5 रुपये होना चाहिए।
5. हाऊसिंग कलौनी बनाई जाये या मकान बनाने के लिए 25000 रुपये बिना ब्याज से लोन दिया जाये जिसकी कटौती बेसिक की 10 प्रतिशत होनी चाहिए।
6. Earned Leave 30, कैजुअल लीव 15 तथा बीमारी की छुट्टियां 15, त्यौहारों की छुट्टियां 15 की जाये।
7. दिवाली गिफ्ट 400 रुपये का होना चाहिए।
8. प्रत्येक कामगार को कम से कम 5000 रुपये का लोन दिया जाए जिसकी कटौती बेसिक की 10 प्रतिशत होनी चाहिए।
9. कम्पनी की कन्टीन सबसीडाईज तौर पर चलाई जाये।
10. इन्सेन्टिव 100 % उत्पादन पर 100 % इन्सेंटिव पूरे वेतन पर दिया जाये।
11. प्रत्येक कामगार को हर वर्ष दो जोड़े बाटा चमड़े के बूट, दो जोड़े जुराबे, के साथ एक गर्म जर्सी दी जाये तथा वाशिंग अलाउन्स 50/- रुपये प्रतिमाह दिया जाये।
12. किसी कर्मचारी की मृत्यु होन पर एक दिन की तन्खाह दी जाये तथा उसके घर के किसी भी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए।
13. खन्ना वाचिज से कालका तक प्रत्येक शिफ्ट में कम्पनी की बस चलाई जाये।
14. ग्रेज्यूटी साल में 30 दिन की मिलनी चाहिए तथा रिटायरमैंट के समय कम्पनी की तरफ से कम से कम 10,000 रुपये दिए जायें।
15. सर्विस अवार्ड प्रत्येक 5 वर्ष बाद दिया जाये।

अतः हम आशा करते हैं कि आप मजदूरों की, उपरोक्त मांगो को 19-3-1989 तक विचार विमर्श करके मान लेंगे तथा फैक्टरी में औद्योगिक शान्ति बनाने में हमारी सहायता करेंगे वर्ना विवश होकर यूनियन को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी मनेजमैंट पर होगी।

धन्यवाद।

भवदीय

सुखनन्दन सिंह बौहरा
प्रधान

भगवान दास
महासचिव

प्रति: 1 श्रम आयुक्त, शिमला (हि0 प्र0)
2 श्रम अधिकारी, सोलन (हि0 प्र0)
3 डिप्टी कमीशनर, सोलन (हि0 प्र0)
4 श्रम निरीक्षक, परवाणू
5 एस0 एच0 ओ0, परवाणू
6 मुख्य मन्त्री, हि0 प्र0, शिमला
7 श्रम मन्त्री, हि0 प्र0, शिमला

KWL : Pers : 89
1989

12th July, 1989

The Labour Officer,
Labour Department,
South Zone,
Solan, H. P.

Sub: PRODUCTIVITY POINTS OF THE MANAGEMENT

Dear Sir,

This has reference to the Demand No. Nil dated 15th May, 1989, served by the Khanna Watches Karamchari Sangh on the management a copy endorsed to you.

The management wish to request that alongwith the charter of demand of the Union, the productivity points given below may also be taken into consideration for the purpose of the discussion, negotiation and final settlement/disposal.

These are the requirements of the management upon the Union to be finally considered to complete the process of collective bargaining.

1. The Productivity of the company suffers because of un-authorised absence, loitering during the working hours and leaving the place of work unauthorisedly. These factors contribute to low productivity. Indiscipline, lack of interest in work. It is expected that the workman should stick to their place of work and leave the place of work with permission to maintain discipline and increase productivity. Any workman found loitering or found absent from the place of his work without permission shall be treated as absent.

2. The workmen have been lately making an issue of the canteen and have been resorting to intermittent stopage of work, thereby putting the company into financial losses. It is demanded that the canteen should be run on co-operative basis as per provisions of the Factory Act, 1948, by the full involvement of the workmen.

3. The workmen are in the habit of work stopage, go slow tactics on flimay frounds during the operation of tripartite settlement as a pressure tactics on the management to force their unreasonable and unustified demands, which not only disturbs the industrial harmony but also results in loss of production, and low morale.

4. We expects that the terms of the settlement entered into should be honoured in letter and spirit and there should not be any pressure tactics adopted to by the workers during the operation of settlement, otherwise the management shall have the right to withdraw benifits of settlement automatically without notice.

5. The Management shall not only deduct wages as per provisions of Law, but also reserve the right to further deduct wages for loss of product, damage to product in process or otherwise, if there is a breach of terms and conditions of settlement.

6. In the past years it has been observed that the workmen raise demands in contravention of tripartite settlement, which are not only illegal but also unjustified as raising demands during the pendency of the settlement which is against the spirit of the settlement. It is expected that the workmen do not raise demands in contravention of settlement and thus maintain the sanctity of the settlement, and industrial peace.

7. The cost per unit is increasing at an alarming rate, it is expected that the material and consumable wastage are eliminated. The company looks forward to co-operation in eliminating such wastages by workman.

8. Job rotation is very important aspect of industry. The workmen refuse to work on other machine but would insist on working on one machine only. It is expected that the workman shall carry out the instructions of their superiors and work on the machine where they asked to do so. Similarly, the setters must operate the machine whenever the management needs them to do so.

9. Quality is the Hall Mark of any successful industry. It has been observed that the quality has deteriorated alarmingly during the past couple of years. Among others things the workers attitude is extremely important for producting good quality and reducing rejections. Producing bad quality due to casual attitude and carelessness shall be considered a major misconduct.

10. The present rate of rejections is very high. This reduces productivity and puts the company to heavy financial loss. It is therefore expected that the rejections should be brought from 10-11% to within 5% immediately and further more to 10%.

11. Rework is another factor which tend to hamper the productivity and quality. A lot of productive time is wasted in rectifying the pieces from polishing alone about 10% pieces circulate as rework. To improve our qualily and productivity it is essential that this factor is totally eliminated.

12. To remain competative and to meet with the requirements of the customers it is absolutely essential to develop and produce new models. It has been observed that workmen do not take much interest in working on new models. Since new models are our LIFELINE, it is expected that all mental harrier for new models are crossed and workmen show extra zeal and interest to make these in shortest possible time.

13. The workmen must agree to improve productivity, increase production, co-operation in improving process/facilities and any other changes to improve the working of the company, accept and co-operate in establishing time standards.

14. In the present competative market it is absolutely essential to improve our quality and productivity. With the present level of productivity, it is almost impossible to bear the additional financial burdon. The Company can think of additional minimum financial benefits only if the productivity level is increase to minimum 80,000 cases per month and of a product demanded by the customer and new models as demanded by the market.

15. The company expects that during the process of collective bargaining the union will keep in mind the productivity and the market in which the company is operating. A comparison with any other industry would be unrealistic. This must be avoided in order to reach at a amicable peaceful, just and a productive settlement.

16. INCENTIVE SCHEME ;

Our incentive scheme is based on industrial engineering standards and thorough study of the operations, technique and equipment, based on the same facts the management reserves the right to amend, modify or totally scrap the scheme.

17. The Management requires and urges upon the Union that unless production/productivity is improved by various means it shall be beyond the capacity to pay for the company any increase in financial form. Rather with the existing productivity it may not be even possible for the company to sustain and continue paying the present exhorbitant wages bill. This is supporting with the following facts:—

Year	No. of workers	Annual out put
1985	277	660100
1986	290	570608
1987	325	700968
1988	326	558110
January to June 1989	313	284860

The above reveals that in 1985, 277 workers produced 660100 watch cases. Taking 1985 as the base year in 1989 upto 30th June, 1989 284860 watch cases were produced (this includes the figure of June, as 47305). Taking the June figure for the next six months *i. e.* upto December, 1989 (474056)=283830 adding this to the figure January to June, 1989 the total comes to 5,68,690 watch case. To produce 660100 watch cases 277 workmen were required in 1985. To produce 568690 watch cases 239 workmen are required. The above equation will reveal there is a surplus of 74 workmen which the management demands upon the Union for either agreeing to their separation or increase the out put proportionately for the well being of the organisation.

You will appriciate that it is imparative to discuss, negotiate and finally settle along with Demand Notice of Khanna Watches Karamchari Sangh mentioned above points of productivity submitted by the management so that well being of the workmen and harmonious employee-employer relationship are promorted.

Thank you.

Yours Faithfully,
for KHANNA WATCHES LTD.
Sd/-

MANAGER (PERS & ADMN)

CC TO :

1. The Labour Secretary, Shimla.
2. The Labour Commissioner, Shimla.
3. The Director of Industries, Shimla.
4. The Deputy Commissioner, Solan.
5. The Labour Officer, Solan.
6. The Labour Inspector, Parwanoo.
7. The Assistant Commissioner, Parwanoo.
8. The General Secretary,
KHANNA WATCHES KARAMCHARI SANGH, PARWANOO.

Shimla-2, *the* 17 *March*, 1990

No. 19-20/88-Shram—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Gem Workers Union. Parwanoo and the management of M/s Gem India Ltd., Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vasted in him under section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under:—

1. "Whether the action of the management of M/s Gem India Ltd., Parwanoo in respect of transfer of Shri Rejinder Kumar Rao from Parwanoo to Faridabad is justified and in order ? If not, to what relief the transferred workman is entitled ?"

2. "During the pendancy of Conciliation Proceedings with the Conciliation Officer, Parwanoo (Labour Inspector Parwanoo), whether the action of workers to proceed on strike is legal or not? If legal, to what relief the workmen are entitled ?"

3. "Whether the demands raised by the Gem Workers Union through demand charter (demand charter enclosed) are legal and justified? If so, to what relief the workers are entitled ?"

जैम वर्करज यूनियन

रजि0 नं0 539 (सम्बन्धित सी. आई. टी. यू)

सैक्टर-1, परवाणू-173220 (हि0 प्र0)

क्र0 सं0 दिनांक 22-9-89

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
जैम इण्डिया लिमिटेड,
परवाणू ।
विषय: मांग पत्र-1

मान्यवर,

जैम वर्कर यूनियन के जनरल हाऊस के आदेश अनुसार हम

आपके सम्मुख कामगारों की निम्नलिखित मांगे रख रहे हैं आशा करते हैं कि आप शिघ्रातिशीघ्र अपनी स्वीकृति देकर संस्थान में औद्योगिक सम्बन्ध और भी अधिक सामान्य व मधुर बनाने में हमारी सहायता करेंगे

1. यूनियन के जनरल सैक्रेटरी राजेन्द्र कुमार को नौकरी पर वापिस लिया जाये ।
2. आज की कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए वेतन में 500/- रुपये की बढ़ौतरी की जाये व सालाना इंक्रीमैंट 50/- रुपये होनी चाहिए ।
3. ओवर टाईम का भुगतान दोहरे दामों में किया जाये व इसके दौरान चार घण्टे बाद खाना दिया जाये ।
4. एक साल में दो टैरिकाट की वर्दियां एक जोड़ा बाटा कम्पनी के बूट व सर्दियों में गर्म जरसी दी जाए ।
5. वाशिंग अलाउन्स 50/- रुपये महीना दिया जाये ।
6. डी0 ए0 में भी बढ़ौतरी की जाये ।
7. इन्सटीव स्कीम शुरू की जाये ।
8. बोनस 20 प्रतिशत दिया जाये ।
9. हाउस रैंट बेसिक पे पर काटा जाये ।
10 अर्जेंट लीव 20 दी जाय, कैजुअल लीव 10 और सिक लीव 10 व त्यौहारों की 12 छुट्टियां दी जायें ।
11. ई.एस. आई. में ड्यूटी टाईम में भेजा जाये ।
12. नाईट शिफ्ट अलाऊंस 5/- रुपये दिया जाये ।
13. ड्यूटी टाईम 8 घण्टे का होना चाहिए और खाने का समय भी ।
14. नाईट शिफ्ट में सुपरवाईजर व अन्य स्टाफ वर्कमैन के साथ 8 घण्टे होना चाहिए ।
15. शार्टलीव महीने में 4 घण्टे की दी जाये ।
16. दीवाली का गिफ्ट कम से कम 200 रुपये तक दिया जाये ।
17. जिस वर्कर को किसी काम से परेशानी हो उसे बदल दिया जाये ।
18. जिस वर्कर का जो पद है उसे उसी तरह से काम करने दिया जाये ।
19. नये साल का गिफ्ट 200 रुपये तक का दिया जाये ।
20. दो साल के बाद ग्रेड बदले जायें व प्रमोशन पोलिसी बनाई जाये ।
21. एटैन्डस अलाउन्स 10% दिया जाये उसे तीन दिन की अनुपस्थिति के बाद काटा जाए व वर्कर को 15 मिन्ट लेट आने की छूट दी जाये ।
22. यूनियन के प्रधान व जनरल सैक्रेटरी को 15-15 दिन की स्पैशल लीव दीं जाये ।
23. जरूरत पड़न पर वर्कर को कम से कम पांच हजार तक का लोन दिया जाये व बेसिक तनख्वाह का 10 प्रतिशत बिना ब्याज के काटा जाये ।
24. यूनियन को यूनियन आफिस बना कर दिया जाये ।
25. सभी कामगारों को आने जाने की सुविधा दी जाये या ट्रेवलिंग अलाऊंस दिया जाए ।
26. दस साल के बाद वर्कर को फैक्टरी की तरफ से कम से कम 500/- रुपये का सम्मानित पुरस्कार दिया जाये ।
27. कल्ब का पैसा काटना बन्द किया जाये ।
28. बाहर से आये हुए गैस्ट को वर्कर से मिलाया जाये ।

हम आशा करते हैं कि आप कामगरों की उपरोक्त मांगों को शीघ्र-अतिशीघ्र यूनियन से विचार विमर्श करके स्वीकार कर लेंगे अन्यथा कामगरों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा । जिस की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी ।

धन्यावाद ।

नोट:- इन मांगों को हल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है ।

कृष्ण लाल
प्रधान ।

राजेन्द्र कुमार
महा सचिव ।

प्रतिलिपियां:-

1. श्रम सचिव, शिमला (हि0 प्र0) ।
2. श्रम आयुक्त, शिमला (हि0 प्र0) ।
3. महाप्रबन्धक, परवाणू (हि0 प्र0) ।
4. समझौता अधिकारी, सोलन ।
5. श्रम निरीक्षक, परवाणू ।
6. महासचिव सी. आई. टी. व राज्य कमेटी, शिमला ।
7. एम. एच. ओ., परवाणू ।
8. आफिस कापी ।

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री काल राम और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टीपरा–बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करन के पश्चात राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है ।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम सं0 (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं:–

"Whether the termination of the services of Shri Kalu Ram s/o Shri Hari Chand, Helper, by the management of M/s Jai Mata Roiled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Kalu Ram is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री गुरनाम सिंह तथा मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टीपरी-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य हैं ।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 क अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination dated nil of Shri Gurnam Singh s/o Shri Bachhana Singh of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala is maintainable ? If not, to what relief and service benefits Shri Gurnam Singh is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री चरन दास और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास लि0, गांव टीपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है :

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है ।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तगत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of the services of Shri Charan Dass s/o Shri Jati Ram, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Charan Dass is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री गुरबक्स सिंह और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टोपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि मामला श्रम न्यायालय को भज देने योग्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद् द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of the services of Shri Gurbax Singh s/o Shri Matu Ram, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Gurbax Singh is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री अवतार सिंह और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास लि0, गांव टोपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम सं0 (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of the services of Shri Avtar Singh s/o Shri Bawa Singh, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Avtar Singh is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री राम लोक और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टोपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य हैं।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देन के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of the services of Shri Ram Lok s/o Shri Radha Ram, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Ram Lok is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री करनैल सिंह और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0) गांव टोपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करन के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज दने योग्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of services of Shri Karnail Singh s/o Shri Thakur Singh, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Karnail Singh is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री मुख्तयार सिंह और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टोपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गये विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत को गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) क अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 क अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते ह :—

"Whether the termination of services of Shri Mukhtiar Singh s/o Shri Dhanna Singh, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Mukhtiar Singh is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री रमेश कुमार और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टोपरा-बरोटीवाला जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत को गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of the services of Shri Ramesh Kumar s/o Shri Budh Ram, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Ramesh Kumar is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री राम नाथ और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टीपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of services of Shri Ram Nath s/o Shri Khushi Ram, Helper, by the management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Ram Nath is entitled ?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री राज कुमार और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास (लि0), गांव टीपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of services of Sh. Raj Kumar s/o Sh. Om Parkash, Helper, of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is maintainable? If not, to what relief and service benefits Shri Raj Kumar is entitled?"

शिमला-2, 27 मार्च, 1990

संख्या 19-1/88-श्रम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री बज लाल और मै0 जय माता रोल्ड ग्लास लि0, गांव टीपरा-बरोटीवाला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम संख्या (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम; 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"Whether the termination of the services of Sh. Brij Lall s/o Sh. Sita Ram, Helper, by the Management of M/s Jai Mata Rolled Glass Ltd., Tipra-Barotiwala, District Solan is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and service benefits Shri Brij Lall is entitled?"

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 20 जून, 1990

संख्या विद्युत-छ (5)-173/88.—यतः व्यास निर्माण बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्न्तगत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, को अपने व्यय पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भूमि चाहिए।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 16-1-90 तथा 23-1-1990 जिनके द्वारा ग्राम देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में 400 के0 वी0 डैडर भिवांनी लाईन के टावर नं0 28. 29 के हेतु 0-1-4 बीघा भूमि अर्जित करती थी से भू-अर्जन कार्यवाही को सहर्ष वापिस लेते हैं।

विवरणी

जिला : बिलासपुर — तहसील : सदर

ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वां0
1	2	3	4	5
देवली/108	437/1	0	1	4
किता ..	1	0	1	4

शिमला-2, 20 जून, 1990

संख्या विद्युत-छ (5)-149/89.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्न्तगत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप ग्राम सुरचो, मौजा भावा, तहसील

निचार, जिला किन्नौर में भावा वृद्धि परियोजना के रोप वे (रज्जू मार्ग) के निर्माण हेतु ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, थिसल बैंक, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, थिसिल बैंक, शिमला-3 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील : निचार

ग्राम	खसरा नं०		क्षेत्र हैक्टेयरों में	
1	2	3	4	5
उप मुहाल सुरचो	306	0	02	62
	315/2/1	0	00	50
कित्ता ..	2	0	03	12

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विद्युत)।

PLANNING AND ECONOMIC AND STATISTICS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd February, 1990

No. 8-35/66-Plg.-Fin (R&E)-III.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order to re-designate the post of the Director of Economics & Statistics as "Economics Adviser" to the Government with effect from 26th September, 1989.

M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th February, 1990

No. PLG (B) 3-14/85.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order to re-designate the post of the Director (Planning) "as Adviser (Planning)" to the Government with effect from 15th January, 1990.

M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th February, 1990

No. Pub. B (9)2/85.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm S/Shri Vinod Kumar, Lakhanpal, Rajinder Kumar, K. P. Kaushik DPROs/IOs and Shri Deep Ram Sharma, Reporter against the permanent post of District Public Relation Officers/Information Officers and Reporter (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 2100—3700 in the Public Relation Department with immediate effect.

By order,
M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 20th January, 1990

No. 1-80/72-PWA-Vol. III.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri V. K. Aggarwal, Assistant Engineer (Mach.), Office of the Engineer-in-Chief, H. P.P.W.D., Shimla-1 as Executive Engineer (Mech.) in the pay scale of Rs. 3000—4500 (revised) purely on *ad hoc* basis from the date of his taking over the charge.

2. The above *ad-hoc* promotion is in pursuance to the orders of the Hon'ble H. P. Administrative Tribunal in MA No. 247/87, dated the 24th November, 1988 and Contempt Petition No. 2/88, dated the 13th April, 1989, and also subject to the decision of the Government of India on the provisional Seniority list of Junior Engineers (Mech.) circulated in 1979.

3. The *ad hoc* promotion shall not confer upon his any right for continuation, seniority, regular promotion or confirmation etc.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post Shri V. K. Aggarwal as Executive Engineer (Mech.), Mechanical Division, H.P.P.W.D., Dharamshala against vacant post.

Shimla-2, the 6th February, 1990

No. PBW (B&R)(B) 15 (11)/87.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the High Powered Committee for the purchse of Non-Levy Cement in the department of Public Works Department (B&R), Himachal Pradesh consisting of the following with immediate effect :—

1.	Minister of State (B&R)	*Chairman*
2.	Secretary (PW)	*Member*
3.	Secretary (Food & Supplies)	-do-
4.	Director of Industries, H. P.	-do-
5.	Joint Secretary (Finance)	-do-
6.	Engineer-in-Chief, H. P. P. W. D.	*Member-Secretary.*

THE FUNCTION OF THE HIGH POWERED COMMITTEE

(1) All the proposals for the purchase of Non-levy Cement of the Department are to be submitted to the committee for consideration and their recommendations there of before the case is sent to the Government for approval and expenditure sanction.

Shimla-171002, the 21st February, 1990

No. PBW-1B(3)/78.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to retire Shri K. S. Sohta, Executive Engineer, Office of the Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla-171001 from Government services with effect from 28-2-1990(A. N.) on his attaining the age of superannuation.

By order,
Sd/-
F.C.-cum-Secretary (PW).

शिमला-171 002, 14 जून, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख)7 (1) 175/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला में शकिलधार-अलौटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इसमें सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : ठियोग

गांव	खसरा सं0	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
टियाली	351	0	18
	902/353/1	0	1
	901/353/1	0	1
	906/353/1	0	10
	354	0	5
	910/889/355/1	0	10
	कित्ता .. 6	2	13

शिमला-171002, 14 जून, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1)40/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कठनी, कायला, कानो कोटला और ठां तहसील कसौली, जिला सोलन में धर्मपुर-स्पाट सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इसमें सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, सोलन को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, सोलन के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला: सोलन तहसील : कसौली

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	बिस्वां
1	2	3	4	5
कठनी	433/1	0	10	0
	435/1	0	17	0
	443/1	1	2	0
	445/1	0	9	0
	448/1	0	4	0
	449/1	0	2	0
	449/2	0	1	0
	450/1	0	3	0
	451/1	0	4	0
	452/1	0	3	0
	453/1	0	2	0
	455/1	0	1	0
	457/1	0	4	0
	458/1	0	0	4
	495/1	0	0	9
	कित्ता .. 15	3	2	13
कायला	108/93/1	1	9	0
	68/1	0	18	0
	67/1	0	4	0
	67/2	0	1	0
	63/1	0	0	4
	62/1	0	3	0
	59/1	0	1	0
	112/95/1	0	1	0
	कित्ता .. 8	2	8	4
कानों	202/122/1	0	2	0
	201/122/1	0	1	0
	123/1	0	1	0
	124/1	0	4	0
	126/1	0	1	0
	126/2	0	2	0
	138/3	0	2	0
	146/1	0	1	0
	145/1	0	2	0
	150/1	0	4	0
	151/1	0	1	0
	153/1	0	5	0
	154/1	0	1	0
	156/1	0	1	0
	157/1	0	1	0
	163/1	0	2	0
	164/1	0	1	0
	कित्ता .. 17	1	12	0
कोटला	33/2/1	0	3	0
	28/1	0	1	0
	184/1	0	7	0
	185/1	0	1	0
	197/1	0	2	0
	199/1	0	0	7
	कित्ता .. 16	0	14	7
ठां	132/1	0	3	0
	कित्ता .. 1	0	3	0

शिमला-171002, 14 जून, 1990

संख्या लो0 नि0 वि0 (ख) 7 (1) 45/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फाटी खराहल, तहसील व जिला कुल्लू में रामशीला-बिजली-महादेव सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन, समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : कुल्लू तहसील : कुल्लू

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	विस्वां0
1	2	3	4	5
फाटी खराहल	4679/1	1	6	12
	4681/1	0	13	01
	3682/1	0	7	12
	4685/1	0	2	0
	4635/1	1	16	18
	4590/1	1	14	18
	4591 सा	0	3	0
	4592 सा	0	2	0
	4596/1	0	1	18
	4596/2	0	1	16
	4595/1	1	19	17
	4585/1	0	16	0
कित्ता . .	12	9	6	0

शिमला-171 002, 14 जून, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1)72/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जयसिंहपुर, कुद्याल जागियां और बीजापुर, तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा में जयसिंहपुर-बीजापुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को अधिसूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : जयसिंहपुर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
जयसिंहपुर	1749/1	0	18	27
	1773/2	0	02	86
	1774/1	0	00	64
कित्ता . .	3	0	21	77
कुछयाल जगियां	854/1	0	02	53
	858/1	0	05	84
	866/1	0	00	25
	865/1	0	01	10
	864/1	0	01	44
	863/1	0	00	94
	859/1	0	02	17
	862	0	00	84
	861/1	0	01	50
	870/1	0	00	36
	871/2	0	03	68
	873/2	0	01	28
	876/2	0	03	04
	959/2	0	00	66
	960/2	0	03	04
	962/1	0	01	32
	963/2	0	03	60
	966/2	0	00	66
	967/2	0	02	09
	968/2	0	02	70
	969/2	0	02	84
	970/1	0	08	36
	975/1	0	06	51
	978/1	0	03	07
	979/1	0	00	18
	981/1	0	00	40
	980/1	0	02	17
	993/2	0	03	96
	994/2	0	01	56
	995/1	0	00	98
	996/1	0	02	70
	997/1	0	00	08
	1208/1	0	01	60
कित्ता . .	33	0	73	43
बीजापुर	151/1	0	00	94
	171/2	0	01	60
	175/2	0	11	72
	176/1	0	00	10
	185/1	0	02	01
	186/1	0	00	54
	187/1	0	00	10
	184/1	0	00	75
	183/1	0	00	88
	210/1	0	00	09
	212/2	0	00	22
	209/1	0	00	15
	214/2	0	04	62
	218/1	0	03	23
	255/4/2	0	15	20
	257/2	0	03	04
	256/2	0	04	68
	531/1	0	01	04
	219/1	0	01	06
	252/2	0	01	60
	255/2/1	0	02	74
	255/3/2	0	00	50
	482/1	0	00	36
	481/1	0	00	30
	484	0	00	55
	483	0	01	80
	466	0	06	15
	463	0	00	09
	464	0	00	42

	459/1	0	00	06
	462/1	0	00	38
	414/1	0	00	12
	603/1	0	00	18
	54-/1	0	01	12
	532/1	0	00	74
	552/2	0	07	16
	465/2	0	02	16
किस्त ..	37	0	78	60
कुल जोड़ ..	73	1	73	80

शिमला-2, 14 जून, 1990

सं0 लो0 नि0 (ख)7(1)-32/89.—अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मलोट, जिन्दड़ी और तोकी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में मलोट-तोकी बाया जिन्दड़ी सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : इन्दौरा

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
मलोट	393/1	0	01	32
	393/2	0	02	92
	394/1	0	00	80
	394/2	0	00	60
	396/1	0	00	06
	398/1	0	00	36
	400/1	0	00	21
	400/2	0	00	25
	400/3	0	00	76
	399/1	0	00	08
	401/1	0	00	02
	383/1	0	01	70
	366/1	0	00	84
	336/1	0	02	24
	338/1	0	00	30
	339/1	0	01	22
	340/1	0	00	21
	349/2	0	02	04
	294/1	0	00	86
	293/1	0	00	42
	289/1/1	0	00	04
	288/1	0	04	36
	287/1	0	02	10
	296/1	0	01	08
	315/1	0	04	00
	316/1	0	01	36
	317/1	0	00	52
	318/1	0	00	24
	325/1	0	02	13
	332/1	0	01	72
	333/1	0	00	99
	330/1	0	03	21
	423/1	0	00	98
	421/1	0	00	64
	420/1	0	06	55
	429/1	0	00	33
	404/1	0	02	38
	403	0	21	09
	335/1	0	06	92
	335/2	0	00	04
	333	0	02	48
	295/1	0	04	10
किस्त ..	42	0	76	50
जिन्दड़ी	1/1	0	00	30
	2/1	0	01	94
	4/4	0	01	02
	5/1	0	00	56
	6/1	0	01	74
	7/1	0	00	60
	8/1	0	00	09
	9/1	0	01	80
	14/1	0	00	04
	15/1	0	01	12
	16/1	0	00	76
	18/1	0	01	08
	19/1	0	01	18
	20/1	0	00	04
	21/1	0	02	07
	24/1	0	02	97
	186/1	0	02	91
	187/1	0	00	78
	190/1	0	00	66
	191/1	0	01	22
	219/1	0	01	71
	220/1	0	00	63
	221/1	0	00	15
	221/2	0	02	80
	222/1	0	00	60
	207/1	0	00	42
	206/1	0	01	17
	205/1	0	00	68
	204/1	0	02	32
	202/1	0	00	06
	201/1	0	00	54
	203/1	0	04	74
	228/1	0	00	56
	229/1	0	00	62
	226/1	0	01	50
	225/1	0	00	60
	224/1	0	00	28
	240/1	0	00	30
	242/1	0	00	36
	243/1	0	00	04
	244/1	0	00	12
	245/1	0	00	14
	246/1	0	00	08
	247/1	0	00	16
	250/1	0	00	76
	251/1	0	00	78
	252	0	00	80
	253	0	00	60
	254/1	0	00	60
	26/1	0	01	22

1	2	3	4	5
	31/1	0	04	32
	32/1	0	00	12
	33/1	0	02	16
	34/1	0	02	34
	35/1	0	00	56
	40/1	0	00	04
	41/1	0	04	20
	42/1	0	05	80
	43/1	0	00	60
	44/1	0	00	15
	25	0	42	47
	168/1	0	03	85
	223	0	07	52
	227	0	00	50
	232/1	0	20	24
किता ..	65	1	42	83
तोकी	193/1	0	06	81
	194/1	0	02	10
	199/1	0	02	34
	200/1	0	04	60
	227/1	0	00	32
	229/1	0	00	92
	230/1	0	02	42
	236/1	0	00	28
	237/1	0	02	31
	238/1	0	00	93
	244/1	0	00	09
	247/1	0	00	40
	240/1	0	00	42
	250/1	0	00	76
	251/1	0	00	32
	252/1	0	00	30
	253/1	0	00	30
	254/1	0	00	16
	290/1	0	00	46
	291/1	0	00	63
	292/1	0	00	90
	297/1	0	02	13
	308/1	0	01	56
	309/1	0	00	76
	317/1	0	00	96
	318/1	0	00	36
	319/1	0	00	60
	321/1	0	00	36
	323/1	0	00	36
	326/1	0	04	04
	330/1	0	00	33
	331/1	0	00	28
	332	0	00	80
	333/1	0	00	54
	334/1	0	02	80
	335/1	0	02	25
	346/1	0	00	18
	345/1	0	00	50
	348/1	0	00	18
	351/1	0	00	68
	352/1	0	04	84
	353/1	0	02	56
	191/1	0	01	54
	192	0	39	76
	347	0	29	27
किता —	45	1	27	21
कुल किते ..	152	3	46	54

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
आयुक्त एवं सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 3rd February*, 1990

No. Rev. A(B)3-8/81.—Consequent upon the acceptance of OA-172/89 titled as Roshan Lal Sharma *versus* State of Himachal Pradesh by the Hon'ble Himachal Pradesh Administrative Tribunal as per judgment pronounced on the 21st December, 1989 for the change of the date of birth of the applicant as 24-12-1931 *insted* of 3-5-1931 and in supersession of this Department notification of even number, dated the 24th May, 1989 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Roshan Lal Sharma, the then Tehsildar Khundian, District Kangra may be treated as retired from Government service on attaining the age of superannuation with effect from 31-12-1989 (A.N.) *insted* of 31-5-1989(A.N.) He is further pleased to order that Shri Roshan Lal Sharma shall be entitled to all pecuniary benefits which he would have drawn had he not retired on 31-5-1989 (A. N.).

M. S. MUKHERJEE,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 11 जून, 1990

सं0 6-62/81-वि0 स0.—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, श्री भागमल सैहजरामटा, अवर सचिव द्वारा अपना परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हे अवर सचिव के स्थाई पद पर वेतनमान 3000-4000-125-4500+400/- रुपये विशेष वेतन में तत्काल स्थाई करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

चम्बा-176 310, 12 जून, 1990

संख्या पंच-ए0-1(16)-11-75-II-2735.—चूंकि श्री तुलसी राम, सदस्य, ग्राम पंचायत भरमौर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये हैं जिस कारण उन्होंने ग्राम पंचायत भरमौर के पद से त्याग-पत्र दिया।

अतः मैं, विद्या चन्द्र फारका, उपायुक्त, चम्बा, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री तुलसी राम, सदस्य, ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर का सदस्य पद से त्यागपत्र स्वीकार करता हूं।

विद्या चन्द्र फारका,
जिलाधीश, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MANDI, DISTRICT MANDI (H. P.)

NOTIFICATION

Mandi, the 14th June, 1990

No. 24-MND-MLC-21/87.—In exercise of the powers vested in me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988, I, Dr. A. R. Basu, District Magistrate, Mandi, District Mandi in consultation with the local authority hereby impose the following restrictions on plying of vehicles in Bhojpur Bazar of Sundernagar town :—

1. Heavy vehicles, light commercial vehicles and Tractors, shall not be ply inside the Bazar during day time. These vehicles can ply between 8 P. M. to 8 A. M. (of following day).
2. The light motor vehicles shall ply only upto Indian Overseas Bank during day time and only Scooters and Motor-cycles can ply beyond that point.
3. There will be no entry of vehicles to the Bazar from the road leading from Old Bus Stand but the vehicles will be allowed to enter into Bazar only from Sukhdev Talkies side. The road from Sukh Dev Talkies leading through the Bhojpur Bazar upto old Bus Stand shall be one way traffic.

The above restrictions will not be applicable for the Ambulances, Fire Brigade and other such emergency vehicles.

Dr. A. R. BASU,
District Magistrate, Mandi,
District Mandi.

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला, 14 जून, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0(3) 20/85-II-49 1.—मैं, पी0 सी0 कपूर, उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री थोकू राम, पंच, ग्राम पंचायत ननखड़ी, विकास खण्ड रामपुर का त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार करता हूं क्योंकि श्री थोकू राम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में नौकरी पर नियुक्त हो गया है और इस पद को रिक्त घोषित करता हूं।

पी0 सी0 कपूर,
उपायुक्त, जिला शिमला।

OFFICE OF THE DISTRICT FOOD AND SUPPLIES CONTROLLER, SHIMLA, DISTRICT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-1, the 23rd June, 1990

No. 10-21/79-Policy-II/4787-5058.—In supersession of notification No. 10-21/79-Policy-II/3949-4033, dated 21-6-88 and in exercise of powers conferred upon me under clause 3 of the Kerosene Oil (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1971, I, P. C. Kapoor, District Magistrate, Shimla district do hereby fix the wholesale and retail rates of superior kerosene oil at places mentioned below with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Station	Wholesale rate including sales tax and surcharge per 100 litre	Retailsale rate including sales tax and surcharge per litre
1	2	3	4
	URBAN AREA :		
1.	Lalpani, Upper Kaithu, Tashkent Hotel.	227.57	2.33
2.	Ganj Bazar, Lower Bazar, Middle Bazar, Krishna Nagar, Lower Kaithu and Subji Mandi.	230.07	2.36
3.	Phagli, Paras Dass Garden, Marina Hotel, Chaura Maidan, Nabha House, Railway Station, Kelston, Snowdon and Upper Lakkar Bazar.	232.57	2.39
4.	Bharari, Annadale, Jakhoo, Ram Nagar and Dream-Land Hotel.	238.57	2.45
5.	Panchayat Bhawan and Cart Road.	222.57	2.29
6.	Chhota Shimla, Lower Lakkar Bazar, Kasumpti, Tutu, Jutog, Summerhill, Boileauganj and Khalini.	221.07	2.27
7.	Dhalli, Sanjauli and Tutikandi.	217.57	2.24
8.	Theog	225.27	2.31
9.	Rampur	235.77	2.42
10.	Rohru	238.17	2.44
11.	Tunnel No. 103	217.57	2.27
12.	Kotkhai and Narkanda	230.07	2.36
13.	Jubbal	234.57	2.41
14.	Chopal	242.97	2.49
15.	Suni	226.97	2.33
	RURAL AREA :		
1.	Mashobra	223.57	2.34
2.	Shogi and Tara Devi	217.57	2.28
3.	Kufri, Fagu, Bhakhality and Baldehan.	225.27	2.35
4.	Sandhu, Durgapur, Basantpur, Ghanahatti and Mundhaghat.	226.37	2.36
5.	Matiana, Shilaroo, Jaisghat, Chhaila, Dhami, Koti and Gumma.	230.07	2.40
6.	Janedghat, Junga, Gumma Parala (Suni tehsil) and Sainj.	229.67	2.40

1	2	3	4
7.	Bajorlipul and Barubagh	229.67	2.40
8.	Thanadhar, Oddi, Kumarsain, Kingal, Govindpur and Kharapather.	231.42	2.41
9.	Ganashidhar, Prounta and Ghorna.	231.32	2.41
10.	Neerth, Duttnagar, Dochi and Tikkar.	231.87	2.42
11.	Nogli, Sheelghat, Hatkoti, Sawara, Anti, Khaneri, Mandole and Patsari.	234.87	2.45
12.	Rattanpur, Chambi, Seema, Pulbahal, Jakhari and Deha.	238.57	2.49
13.	Jeori, Khirki, Badera and Mehendlipul.	240.67	2.51
14.	Marog, Chargaon, Pandaranu, Jangla and Sarahan.	241.47	2.51
15.	Khadrala, Baghi, Tutupani and Nankhari.	241.57	2.52
16.	Khagnapul, Dhawas, Nakorapul, Nerwa and Jhiknipul.	249.07	2.59

1. The kerosene oil will not be stored at any premises other than the places at business.

2. Every dealer shall prominently display the prices of kerosene oil on a special board to be maintained for the purpose at or near the entrance of the place of sale.

3. The dealer shall maintain true accounts of sale and purchase of kerosene oil. The wholesalers will issue cash-memo for each sale.

4. No dealer shall sell or attempt to sell abet the sale of kerosene oil at the prices higher than those specified above.

5. No dealer having stocks of kerosene oil shall refuse to sell it without sufficient reasons.

6. The retailers of kerosene oil at places other than those mentioned in this schedule shall add actual transportation charges duly approved by the Tehsildar/Sub-Divisional Officer (Civil) from the nearest specified point to arrive at the retail sale rate.

7. Sale of 200 litres or above of kerosene oil at a time would be treated as wholesale transaction.

8. All wholesale dealers of kerosene oil shall submit a weekly statement to the District Food and Supplies Controller, Shimla on the proforma given below:—

WEEKLY RETURN OF KEROSENE OIL OF M/s

.....

FOR THE WEEK ENDING.....

Opening Balance 1	Receipt during the week 2	Total 3	Sale during the week place-wise 4	Closing Balance 5	Route/areas covered 6	Remarks 7

Any violation of the above instructions by the wholesale/retail dealers of kerosene oil shall be punished under section 3/7 of the Essential Commodities Act, 1955.

P. C. KAPOOR,
District Magistrate, Shimla.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, 14 जून, 1990

संख्या स्वास्थ्य-क(3) 17/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्ग-III (अराजपत्रित) पद भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1990 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

उपाबन्ध-"अ"

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
2.	पदों की संख्या	1095 (एक हजार पचानवे)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	रु0 510-15-600-20-700-25-850-30-940.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु ।	18 से 35 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकथ्य हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए

	अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं। टिप्पणी-2.—अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।	11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में श्रेणियां, जिनमें से प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	लागू नहीं
		12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
		13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
		14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए:— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास के लिए आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानियां (पहले तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो।
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बहुद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) के रूप में डेढ़ वर्ष के प्रशिक्षण सहित विज्ञान विषय के साथ मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी भाग-I या इसके समतुल्य। वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।		ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही दिया जायेगा।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित, आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं		
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।		
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो यह उसके कारणों को अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों या नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों को बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government notification No. Health-A*(3)-17/87, *dated* 14-6-1990 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

Shimla, the 14*th June,* 1990

No. Health-A(3)-17/87.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Male Health Worker, Class-III (Non-Gazetted) in the Health and Family Welfare Department, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Health and Family Welfare Department, Class-III (Male Health Worker) (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1990.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

ANNEXURE-I

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MALE HEALTH WORKER IN THE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WFLFARE DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Male Health Workers
2.	Number of posts	1095 (One thousand ninety-five).
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs. 510-15-600/20-700/25-850-30-940.
5.	Whether selection post or non-selection post.	Non-selection
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 and 32 years : Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/scheduled tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in the public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the puplic sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after initial constitution of the public sector Corporations/autonomous bodies. *Note*-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be. *Note*-2.—Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential :* Matric/Hr. Sec. Part-I or its equivalent with Science, with 1½ years training as M. P. W. (Male) from a recognised training institution. *Desirable :* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	Not applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H. P. P. S. C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14. Essential requirement for direct recruitment	A candidate for appointment to any service or post must be:— (*a*) a citizen of India, or (*b* a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India : Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/or the recruiting authority, as the case may be.
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled tribes/backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

शिमला-2, 19 जून, 1990

संख्या एच0 एफ0 डब्ल्यू0-बी (ए) 3-1/80-II.—हिमाचल प्रदेश सरकार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन आफ बर्थज एण्ड डेथज रूल्ज, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन आफ बर्थज एण्ड डैथज (संशोधन) रूल्ज, 1990 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश के जन्म और मृत्यु नियम, 1978 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 5 क उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात :—

"5 Form etc. for giving information of births and deaths.

2. The information reffered to in sub-rule (1) shall be given within twenty one days from the date of live birth still birth or death."

3. हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ एण्ड डैथ रूल्ज 7 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"7. Time and form for notifying information under section 10 (1).

The information referred to in sub-rule (1) shall be given with-in twenty one days from the date of live birth, still birth or death."

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
विनायक एवं सचिव

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th March, 1990

No. Pub. A(4)-2/85.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules, namely :—

1. *Short title, commencement and Definitions.*—(1) These rules shall be called "The Himachal Pradesh Government Awards for Journalists Rules, 1989".

(2) In these rules the following words shall have the meaning assigned to them, unless a different intention appears from the subject or context,—

(*a*) "Board" means a Board of Judges consisting of three eminent journalists, one of whom shall be a Journalist of Hindi Newspapers, to be nominated by the Government every year ;

(*b*) "Committee" means a screening committee constituted by the Government from time to time for screening development reporting ;

(*c*) "Development report" is investigative report about the change that is taking place in the lives of the people of Himachal Pradesh due to various developmental activities, educational reforms, social welfare programmes, economic upliftment policies etc. undertaken by official and non-official agencies ;

(*d*) "Director" means the Director of Public Relation appointed by the Government;

(*e*) "Government" means the Government of Himachal Pradesh ;

(*f*) "Journalist" means a person engaged in the profession of journalism and working in Newspaper/News Agency/Officies as Editor/Associate Editor/Assistant Editor, Staff Correspondent, Special Correspondent, Principal Correspondent and Correspondents, but shall not include a Government employee ;

(*g*) "News papers" including dailies and weeklies and other periodicals being published regularly in English or Hindi ;

(*h*) "Year" means the Calendar year.

2. *Objective of the scheme.*—The objective of the scheme is to honour journalists for writing best developmental report.

3. *Value of awards.*—(1) There shall be three awards:—

(*i*) "National Awards", open to all journalists throughout India ;

(*ii*) "State Award" confined to journalists stationed posted and working in Himachal Pradesh ; and

(*iii*) "District Award" confined to journalists stationed, posted and working in a district of Himachal Pradesh but not entitled for a State Award.

(2) The National Award shall consist of one week trip for the awarded journalists and his/her spouce to any tourist resort of his/her choice in the State within two years of the announcement of the award and shall include to and from expenses for both, by any mode of travel, (including air) from their place of residence. They shall also be treated as State Guest.

or

a cash prize of Rs. 15,000/- in liew of the above.

(3) The "State Award" shall be a cash prize of Rs. 10,000/- and a certificate of proficiency.

(4) The "District Award" shall be a cash prize of Rs. 5,000/- and certificate of proficiency.

4. *Entitlement to the award.*—(1) The Award shall be given to a journalist for the best development reporting.

(2) The language and presentation of the reporting shall be taken into account while selecting the best reporting.

(3) Where two or more than two stories are found to be of equal merit, then other things remaining the same, the cash amount of the Award shall be apportioned equally.

(4) No journalist who has one received the Award shall be eligible to receive it again within a period of three years.

(5) A journalist shall be disqualified for the Award, if it is established to the satisfaction of the Government that canvassing has been done on his behalf for the Award.

(6) Only those development report which have been published during the preceeding year shall be considered for the Award.

5. *Procedure for selection.*—(1) Entries for the Awards shall be received by 31st January of the every year by the Director through any of the following method :—

(*a*) The Director, on his own, may select development report published during the preceeding year;

(*b*) Name of deserving journalist may be sponsored by any individual organisation ;

(*c*) A journalist may, on his own, file an entry.

(*d*) The Director shall invite the entries for the Awards through advertisement in the Press; and shall also circulate the scheme of Awards to Director of Public Relations in the different States of the country requesting them to circulate the same to all the major newspapers in their States.

(2) No entry shall be charged.

(3) Each person/organisation shall mention whether the entry is for the "District Award", the "State Award" or "National Award".

(4) Each entry shall be accompanied by four photostat copies of the report as published in the newspaper, along with one copy of the entire newspaper in which it was published.

(5) The Committee shall screen all entries received by the due date and select those which in its view deserve further consideration by the Board.

(6) The screened entries shall be sent to each judge of the Board for his consideration, but the decision of the Board shall be taken in a meeting attended by all members. The decision shall be conveyed to the Government before 31st March every year. The Board if it so thinks, may recommend that no development report deserves an award that year.

(7) The evaluation by the Board shall be consider by the Government and Awards announced before 30th April every year.

(8) The decision of the Government on that Awards shall be final and shall not be questioned in any Court of Law.

6. *Entitlement of the members of the Board and the Committee.*—(1) Each judge of the Board and non-official members of the Committee shall be entitled to an honorarium of Rs. 1,000/-. He shall also be declared as State Guest and shall also be entitled to journey expenses from his place of residence by any mode of travel (including air).

7. *Presentation of award.*—(1) The award shall be in a simple but befitting function to be organised by the Public Relations Department.

(2) The award winner shall be treated as State Guest and shall be given free journey expenses by any mode of travel from his place of normal residence.

8. *Misc. Provisions.*—(1) The Government shall have the powers to make any change in the scheme or issue clarification in respect of the Rules, whenever necessary.

(2) The Director of Public Relations shall be the overall incharge for the implementation of these Rules and may issue necessary instruction in regard to its proper implementation from time to time.

9. *Repeal and Savings.*—(1) The Rules for Himachal Pradesh Award for journalists issued *vide* Government notification No. Pub. A(4)-2/85, dated 14th March, 1986 and published in the Himachel Pradesh Rajpatra, (Ordinary) dated 6th September, 1986 at page 883 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,
M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri J. N Barowalia, Senior Sub Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Case No. 29/90

Date of hearing : 17-8-1990

Shrimati Kesri Devi widow of Shri Sant Ram, resident of Kuther, Mauza Mohara, Tehsil Dehra at present Sanot, P. O. Dehra, Tehsil Dehra, District Kangra ..Petitioner.

Versus

The general public etc. ..Respondents.

To

The general public.

Whereas in the above noted-case. the petitioner has filed an application in this court under section 276 of Indian Succession Act for the grant of probate certificate in respect of the assets of Late Shri Sant Ram son of Shri Makhan Ram of Village Dawala, Tehsil Dehra, District Kangra who died on 21-3-1989.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of the Illaqua and the kith and kins of the deceased to file ojbection, if any, to the grant of such probate certificate in this court on 17-8-1990 at 10. A.M. personally or through an authorised agent, pleader failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court on this 15th day of June, 1990.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri J. L. Gupta, Senior Sub Judge, Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. 5/2 of 90. Pending for : 30-7-1990.

Shri Madhu Sudan Das son of Shri Hanuman Dass, resident of Katcha Tank, Nahan (H. P.) ..Petitioner.

Versus

General public ..Respondent.

Application under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate.

To

The general public.

Whereas in the above-noted case, the above named petitioner has filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act in respect of the assets of Late Miss Savita Kumari Sharma who died on 10-2-1989 at Sarahan, Tehsil Pachhad.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondent of the Illaqua and the kith and kins of the deceased to file objections, if any, to the grant of such Succession Certificate in this court on 30-7-199 at 10.00 A. M. personally or through an authorised agent/pleader failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my haud and seal of the court this 31st day of May, 1990.

Seal.

J. L. GUPTA,
Senior Sub Judge, Nahan,
District Sirmaur (H. P.).

Proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C.

In the Court of Shri T. S. Kaisth, Sub Judge, 1st Class, Arki, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 67/1/88. Pending for 18/7/90.

Shri Dila Ram Tanwar son of Shri Nikka Ram, r/o Village Hatkot-Kunihar presently residing at Boileauganj, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh ..Plaintiff.

Versus

1. Shri Parkash Chand son of Gopalu son of Mastia, 2. Shrimati Kaushalya Devi d/o Gopalu son of Mastia, r/o Village Hatkot-Kunihar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh ..Defendants.

3. Shri Sehaj Ram son of Shri Ram Dyal, 4. Shri Rajinder Kumar son of Prem Lal son of Shri Durga son of Shri Ram Dass, 5. Shrimati Chita Devi wd/o Shri Prem Lal son of Shri Durga son of Ram Dass, 6. Anup Kumar s/o Shri Prem Lal s/o Durga s/o Ram Dass 7. Dempel d/o Prem Lal son of Shri Durga son of Ram Dass both defendants 6 and 7 minors through defendent No. 5. Shrimati Chinta Devi mother and natural guardian of the minor defendants No. 6 and 7, all residents of Village Hatkot-Kunihar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh. 8. Shri Shyam Lal son of Shri Sita Ram, 9. Shri Nand Lal son of Shri Sita Ram, 10. Shri Amer Singh son of Sita Ram, residents of Village Delgi (Namol), Pargana Kunihar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh ..Proforma Defendents.

Suit for declaration with consequential relief of confirmation of joint possession and permanent/prohibitory Injunction.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendents No. 1, 8 to 10 cannot be served in normal course of process. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, CPC is hereby issued to defendents No. 1, 8 to 10 to appear in this court on 18-7-90 at 10 A. M. at Arki personally or through pleader or an authorised agent

failing which *ex parte* proceeding will be initiated against defendents No. 1, 8 to 10 above.

Given under my hand and the seal of the court this 16th day of June, 1990.

Seal.

T. S. KAISTH,
Sub Judge 1st Class,
Arki, District Solan (H. P.),

In the Court of Shri B. L. Soni, Sub Judge 1st Class, Rampur Bushehr, District Shimla, Himachal Pradesh

In re:—

1. Shri Durga Dutt son of Shri Roop Dass, resident of village Jimoo, Gram Panchayat Sehal Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, (H. P.).

2. Shri Harsoo son of Shri Moti Ram, resident of village Kandiali, Gram Panchayat Sehal Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, (H. P.).

..Applicant/Plaintiff.

Versus

1. The State of Himachal Pradesh through Collector, District Shimla at Shimla.

2. Executive Engineer, Irrigation and Public Health Division Kasumpti, Shimla (H. P.).

3. Netaji Subhash Chandra Bose Stadium Shilaroo through Sports Authority of India at New Delhi

..Respondents/Defendants.

SUIT FOR PERPETUAL INJUNCTION

Application under Order 1, Rule 8, CPC for seeking permission to sue the defendents on behalf of or for the benefit of all the persons detailed below:—

1. Smt. Paddi d/o Shri Moti Ram and w/o Shri Kanahi Ram, village Kachhi, Tehsil Theog.

2. Smt. Chenkhi wd/o Shri Moti Ram, r/o village Kandiali Tehsil Kumarsain.

3. Shri Palas Ram s/o Shri Mohatoo, r/o village Kandiali Tehsil Kumarsain.

4. Shri Mast Kam s/o Shri Kanshi Ram, r/o village Kandiali, Tehsil Kumarsain.

5. Smt. Shakuntla d/o Shri Kanshi Ram, r/o village Kandiali, Tehsil Kumarsain.

6. Smt. Nuppo wd/o Late Shri Kanshi Ram, r/o village Kandiali, Tehsil Kumarsain.

7. Shri Bhagat Ram son of Shri Jalmoo, r/o village Kandiali, Tehsil Kumarsain.

8. Shri Parma s/o Shri Jalmoo, r/o village Kandiali, Tehsil Kumarsain.

9. Shri Adam Ram s/o Shri Nekha, r/o village Kandiali-Narel, Tehsil Kumarsain.

10. Shri Karam Dass s/o Shri Nekha, r/o village Kandiali-Narel, Tehsil Kumarsain.

11. Shri Daulat Ram s/o Shri Nekha, r/o village Kandiali-Narel, Tehsil Kumarsain.

12. Master Roshan Lal s/o Late Shri Bhagat Ram minor through his mother Sumitra (15).

13. Kumari Durgoo d/o Late Sh. Bhagat Ram minor through her mother Sumitra (15).

14. Kumari Sharda d/o Late Sh. Bhagat Ram minor through her mother Sumitra (15).

15. Smt. Sumitra wd/o Late Shri Bhagat Ram, resident of village Kandiali-Narel, Tehsil Kumarsain.

16. Smt. Phulli wd/o Late Shri Nekha, r/o village Kandiali-Narel, Tehsil Kumarsain.

17. Shri Prem Sukh s/o Shri Khirmoo, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

18. Shri Jawalia *alias* Hochhoo, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

19. Sh. Khirmoo s/o Shri Janki, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

20. Smt. Suni wd/o Late Shri Hira Nand, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

21. Shri Sukh Dass s/o Shri Khonta, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

22. Shri Nathu r/o Sh. Micharoo, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

23. Shri Rama Nand s/o Late Shri Roop Dass, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

24. Smt. Mathi wd/o Eate Shri Roop Dass, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

25. Shri Bishni Ram s/o Shri Jhagroo, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

26. Shri Daulat Ram s/o Shri Jhagroo, r/o village, Jimoo, Tehsil Kumarsain.

27. Shri Dula Ram s/o Sh. Jhagroo, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

28. Shri Bhagat Ram s/o Shri Anant Ram, r/o village Jimoo, Tehsil Kumarsain.

29. Smt. Daultoo wd/o Late Shri Anant Ram, r/o village Jimoo, Gram Panchayat Sehal (Narkanda), Tehsil Kumarsain, District Shimla, (H. P.).

Whereas Shri Durga Dutt s/o Shri Roop Dass, r/o village Jimoo and Shri Harsoo s/o Shri Moti Ram r/o village Kandiali has instituted a civil suit for perpetual injunction against the State of H. P. and others under Order 1, Rule 8, C. P. C. The suit is with respect to restraining the State from taking away the water from natural stream known as 'Harnali' situate in Khasra No. 243 in chack Kandiali and Khasra No. 97 chack Jimoo. The suit has been instituted also on behalf of residents aforesaid.

The public notice is given to the aforesaid persons and other residents whose rights are involved in suit to appear in person or through an authorised pleader in the court on or before 16-7-90 and file their objections, if any, failing which *ex parte* proceedings will be taken.

Given under my hand and the seal of the court this 15th day of June, 1990.

Seal.

B. L. SONI,
Sub Judge 1st Class,
Rampur Bushehr,
District Shimla, (H. P.).

बअदालत श्री लायक राम चौहान, उप-मण्डल कुलैक्टर, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी

ब मुकद्दमा :

श्री आत्मा राम पुत्र खिमा राम, निवासी शिलग, ईलाका द्रंगसिरा, सब-तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनरल पावर आफ अटोरनी श्री सतीश कुमार पुत्र आत्मा राम, निवासी शिलग, ईलाका द्रंगसिरा, सब-तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

1. श्रीमती पदमा देवी पत्नी परम देव, 2. श्री परम देव, 3. श्री हुक्म चन्द, 4. श्री कांशी राम, 5. श्री हिरदा, 6. श्री दया राम, 7. बादर सिंह पुत्र निहारखू, सभी निवासी शिलग, ईलाका द्रंगसिरा, सब-तहसील पधर ..फीकदोम ।

अपील जेर धारा 17 हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यू ऐक्ट बरखिलाफ हुक्म सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर 15-6-1988 बाबत सेहत गिरदावरी खाता नम्बर 295, तादादी 6-4-16 बीघा, वाक्या मू० शिलग, ईलाका द्रंगसिरा, उप-तहसील पधर ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री हृदय राम, दया राम पुत्र निहारखू, जाति राजपूत, निवासी शिलग, ईलाका द्रंगसिरा, उप-तहसील पधर पर तामील समनात आसान तरीका से नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त फ्रीकदोम को बजरिया इश्तहार राजपत्र जेर आर्डर 5, रूल 20, सी० पी० सी० के द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन मिति 25-7-1990 को या इससे पहले हाजिर अदालत आकर मुकद्दमा की परवी करें अन्यथा एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 11-6-1990 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

लायक राम चौहान,
उप-मण्डल कुलैक्टर,
जोगिन्द्रनगर ।

मोहर ।

व अदालत श्री अरुण कुमार शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

भगत राम सुपुत्र श्री भुवनू राम, निवासी नवाल, ग्राम पंचायत डोलधार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु ।

श्री भगत राम प्रार्थी उपरोक्त ने दिनांक 8-6-90 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है, कि उसकी लड़की द्रोपती देवी का जन्म तिथि 22-2-1985 को उसके निवास स्थान पर हुआ है लेकिन समय पर उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाई है, दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारा किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति आदि हो तो तिथि 25-7-90 समय 10 बजे सुबह हाजिर अदालत होकर पेश कर सकता है वरना द्रोपती देवी सुपुत्री श्री भगत राम, निवासी नवाल, ग्राम पंचायत डोलधार, तहसील सुन्दरनगर की जन्म तिथि 22-2-1985 के ग्राम पंचायत डोलधार के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8-6-190 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

अरुण कुमार शर्मा,
उप मण्डल दण्डाधिकारी.
सुन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

व अदालत श्री अरुण कुमार शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

मोहन सिंह सुपुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी हियूब, ग्राम पंचायत डोलधार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु ।

श्री सोहन सिंह सपुत्र श्री गंगा राम प्रार्थी उपरोक्त ने दिनांक 8-6-1990 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किय है, कि उसके हेम सिंह का जन्म 12-1-1985 को उसके निवास स्थान पर हुआ है लेकिन समय पर उसकी जन्म तिथि ग्राम पचायत में दर्ज नहीं करवाई है। दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किय जाता है कि इस बारा किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति आदि हो तो तिथि 25-7-90 समय 10 बजे सुबह हाजिर अदालत होकर पेश कर सकता है वरना हेम सिंह सुपुत्र सोहन सिंह, निवासी हियूब, तहसील सुन्दर नगर की जन्म तिथि 12-1-85 को ग्राम पंचायत डोलधार के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 8-6-90 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

अरुण कुमार शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल, सुन्दरनगर (हि० प्र०) ।

व अदालत श्री अरुण कुमार शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

साजू राम सुपुत्र श्री कन्हैया राम, निवासी गंगाली (नवाल), ग्राम पंचायत डोलधार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म क अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु ।

श्री साजू राम प्रार्थी उपरोक्त ने दिनांक 8-6-1990 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पश किया है कि उसके लड़के हुसन लाल का जन्म 5-2-1985 को उसके निवास स्थान पर हुआ है लेकिन समय पर उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई है। दर्ज करन के आदेश जारी किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है, कि इस बारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपति आदि हो तो तिथि 25-7-90 समय 10 बजे सुबह हाजिर अदालत होकर पेश कर सकता है वरना हुसन लाल सुपुत्र साजू राम, निवासी गंगाली, तहसील सन्दरनगर की जन्म तिथि 5-2-1985 को ग्राम पंचायत डोलधार, तहसील सुन्दरनगर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 8-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

अरुण कुमार शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल सुन्दरनगर (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री धनी राम पुत्र श्री किरपा राम, गांव भरमार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि० प्र०) .. प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री धनी राम पुत्र श्री किरपा राम, गांव भरमार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना न इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसका जन्म दिनांक 18-11-1942

को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सत पाल सुपुत्र श्री शक्ति राम, निवासी मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री सत पाल सुपुत्र श्री शक्ति राम, निवासी मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री निशा देवी का जन्म दिनांक 22-1-1985 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 14-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री दिलदार सिंह सुपुत्र श्री बली राम, निवासी नंगल कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री दिलदार सिंह सुपुत्र श्री बली राम, निवासी नंगल कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री अभिलाषा कुमारी का जन्म दिनांक 12-7-1987 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता के बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 14-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सलीमदीन पुत्र श्री फकीरदीन, निवासी टीका कनेहड़ा तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री सलीमदीन पुत्र श्री फकीरदीन, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र मनजीत मुहम्मद का जन्म दिनांक 5-5-1984 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री चरन दास सुपुत्र श्री मंगत राम, निवासी नंगड़ां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री चरन दास सुपुत्र मंगत राम, निवासी नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री बेबी रानी का जन्म दिनांक 11-3-1985 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 12-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राम किशन सुपुत्र श्री तुलसी राम, गांव व डाकखाना थाना कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्मा उनवान बाला में श्री राम किशन सुपुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव व डाकखाना थानाकलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री मोनिका शर्मा का जन्म दिनांक 5-7-1984 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री रक्षपाल सिंह सुपुत्र श्री वीर सिंह, निवासी दुलैहड़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्मा उनवान बाला में श्री रक्षपाल सिंह सुपुत्र श्री वीर सिंह, निवासी दुलैहड़ तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री रीता कुमारी का जन्म दिनांक 12-8-1984 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम कुमार सुपुत्र श्री सोहन लाल, निवासी टीका नरूह, तप्पा कोटला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्मा उनवान बाला में श्री प्रेम कुमार सुपुत्र श्री सोहन लाल, निवासी टीका नरूह, तप्पा कोटला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री मोनिका शर्मा का जन्म दिनांक 20-7-1981 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह दस बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री जरनैल सिंह सुपुत्र श्री नसीब सिंह, निवासी दुलैहड़ माजरा गुम्रा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्मा उनवान बाला में श्री जरनैल सिंह सुपुत्र श्री नसीब सिंह, निवासी दुलैहड़ माजरा गुम्रा, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र भुपिन्दर सिंह का जन्म दिनांक 25-3-1985 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री देव राज, निवासी जसाना, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश । ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्मा उनवान बाला में श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री देव राज, निवासी जसाना, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र सन्दीप कुमार का जन्म दिनांक 16-9-1988 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राम तीर्थ सुपुत्र श्री लाल जी राम, गांव सन्तोखगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री रामतीर्थ सुपुत्र श्री लालजी राम, गांव सन्तोखगढ़, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र मनोज कुमार शर्मा का जन्म दिनांक 19-6-1980 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वदरद्दीन पुत्र फकीरिया, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री वदरद्दीन पुत्र फकीरिया, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र रफीक मुहम्मद का जन्म दिनांक 20-11-1984 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वदरद्दीन पुत्र फकीरिया, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री वदरद्दीन पुत्र फकीरिया, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र नजीर मुहम्मद का जन्म दिनांक 1-11-1986 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वदरद्दीन पुत्र फकीरिया, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री वदरद्दीन पुत्र फकीरिया, निवासी टीका कनेहड़ा, तप्पा सोलह सिंगी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र बशीर मुहम्मद का जन्म दिनांक 1-11-1986 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री दिलदार सिंह सुपुत्र श्री बली राम, निवासी नंगल कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री दिलदार सिंह सुपुत्र श्री बली राम, निवासी नंगल कलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री निराशा

कुमारी का जन्म दिनांक 20-1-1986 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-7-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 14-6-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री हरनाम सिंह कटवालिया, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

मुकद्दमा तकसीम

तारीख मजरूआ	मि० नं०
19-9-89	79/9.

लच्छराम पुत्र गोविन्द }
गुलाबो बेवा मन्शी । } निवासी ग्राम बरोटा, परगना अजमेरपुर ।

बनाम

गीता देवी वा बेवा शकुन्तला, पम्मला देवी, परीक्षा देवी, कमलेश, राजो देवी पुत्रियां श्री रणजीत, निवासी बरोटा, राम कृष्ण पुत्र रतन, रामधन पुत्र मेहू, चौधरी पुत्र छुवकू, रलू पुत्र ज्वाला, दीना नाथ पुत्र रिखी, नानको देवी बेवा गान्धी राम, रामा पुत्र मंगर, गेहा पुत्र मंगतू, रामा पुत्र रलू राम, नन्थो बेवा नानकू, कर्म सिंह, रूप सिंह, प्रताप सिंह पुत्र व कृष्णी, रूपा, सावित्री पुत्रियां तथा पारवती बेवा गोपाला, लच्छमण, महन्त राम, पम्मा राम पुत्र दरशन बेवा लहरिया, गोलू पुत्र प्रेमचन्द, भागवन्ती बेवा व धर्मी चन्द, प्रीतम चन्द, ओंकार चन्द पुत्र भगत राम तथा सनीता पुत्री भगत राम, प्रेमलता, सुमन कुमारी, रमा कुमारी, रजना देवी, संगीता कुमारी पुत्रियां गान्धी राम । इन्द्र राम पुत्र व डिब्बो बेवा तथा अजमेर, अण्हाक, कृष्ण देवी, निरमा पुत्रियां छुणक निवासी बरोटा, परगना अजमेरपुर ।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 207, 7, 473, 474, 607, 608, 610, 740, 745, 753, 756, 758, 782, 785, 788, 789 790, 791, 839, 840, 843, 844, 851, 861, 882, 1126, 1140, 1141, 2287/1286, 2234/1285, 2236/1286, 1287, 1104, 1120, 1139, 1288, 602, 603, 604, 609, किता 45, मौजा बरोटा, प० अजमेरपुर ।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में फरीकदोयम श्रीमती कमलेश को कई बार इस अदालत से समन जारी किए गए परन्तु तामील सही ढंग से नहीं रही है । अदालत को यकीन हो चुका है कि फरीकदोयम कमलेश की तल्बी असालतन नहीं हो सकती है । अतः फरीकदोयम कमलेश को तल्बी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दिवानी उपरोक्त मुकदमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि 18-7-90 को सुबह 10-00 बजे हाजिर होकर अदालत में अपनी गवाही कर सकते हैं । गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 4-6-90 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

हरनाम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर ।

ब अदालत तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा

मुकद्दमा नं० 9/87

श्री नन्द लाल पुत्र मस्त राम, वासी A.N. 49-A, शालीमार बाग, दिल्ली-33 बजरिया मुख्तारे आम मस्त राम पुत्र सिधू राम, वासी अमी हाऊस, मुहल्ला रामपुरा, तहसील पठानकोट, जिला गुरदासपुर, 3. कुमारी कुसुमलता पुत्री मस्त राम, वासी अमी हाऊस, मुहल्ला रामपुरा, तहसील पठानकोट, जिला गुरदासपुर ।

बनाम

1. श्री प्रेम दास पुत्र हजारी लाल, 2. देस राज पुत्र गरजू, 3. श्रीमती शकुन्तला पत्नी नन्दू लाल, 4. शालग्रामिया साधिक पुत्र लेहणू, 5. श्री प्रेम चन्द, 6. प्यार चन्द, 7. उत्तम चन्द पुत्रान, 8. कृष्णावन्ती, 9. उमकल, 10. सुनीता पुत्रियां, 11. मीनाक्षी बेवा धर्मी चन्द, 12. मगोल पुत्र, 13. किरमत, 14. सलीमत, 15. कमल अमल, 16. प्रेमकली उर्फ इन्दू पुत्री, 17. गुती देवी बेवा अमर चन्द, वासी गगल ।

दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता नं० 164, खतौनी नं० 310 से 313, खसरा नं० 340, 341, 335, 339, 328, 334, किता 6, रकबा 0-21-46 वाक्या महाल गगल, मौजा गगल ।

नोटिस :

मुकद्दमा उपरोक्त में फरीकदोयम को कई बार समन जारी हो चुके हैं मगर फरीकदोयम साधारण तरीका से समनों की तामील न कर रहे हैं जिससे अदालत को विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम अदालत हजा में हाजिर आने के बारे टाल-मटोल कर रहे हैं । अतः फरीकदोयम को बजरिया इश्तहार गजट सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-90 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा फरीकदोयम के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 4-6-90 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा ।

ब अदालत जनाब सरवर सिंह चौहान, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा

ब मुकद्दमा तकसीम अराजी खाता नम्बर 107 खतौनी नम्बर 328, खसरा नम्बरान किता 3, रकबा तादादी 0-13-69 हैक्टेयर व खतौनी नम्बर 329, खसरा नम्बरान किता 4, रकबा तादादी 0-09-03 हैक्टेयर व खतौनी नम्बर 330, खसरा नम्बरान किता 3, रकबा तादादी 0-13-33 हैक्टेयर कुल भूमि तादादी 0-36-05 हैक्टेयर, वाक्या महाल रोडी, मौजा खलेट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

अजुध्या देवी विधवा सुन्हिया राम, ध्यान सिंह पुत्र रिखू, रसमू देवी पुत्री नथिया, निवासीयान अरला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

बनाम

विधिया, रोशन, रमेश पुत्रान महलला, निवासीयान अरला, रत्नी देवी पुत्री महला, निवासी अलहजाल, तहसील बैजनाथ, कमला देवी पुत्री महला पत्नी रमेश, निवासी पकियारखर, रत्तो देवी विधवा महला राम, निवासी अरला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

नोटिस बनाम: फरीकदोम

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीकदोम को कई बार समन अदालत हजा से जारी हो चुके हैं मगर फरीकदोम समन लेने से टाल-मटोल कर रहे हैं और समनों की तामील नहीं हो रही है । जिससे अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोम की तामील साधारण तरीका से होना कठिन है । अतः अब फरीकदोम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत दिनांक 17-7-1990 को आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा फरीकदोम के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 8-6-1990 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुल्जार सिंह चौहान,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर।

ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री हरि सिंह पुत्र नारायण सिंह, साकिन महाल थाच, इलाका फतापुर, तहसील थुनाग ..फरीक अव्वल।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 भारतीय, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908

दिनांक 30-1-1989 मुतवफी बराम उर्फ ग्रामदास आयु 78 साल पुत्र मलागर, साकिन थाच, तहसील थुनाग।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उक्त वसीयतनामा के पंजीकृत होने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 01-8-1990 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 26 जून, 1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
उप-पंजीकाध्यक्ष,
तहसील थुनाग, जिला मण्डी।

ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष, थुनाग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

मसम्मी बलीयत, मरनाम, मस्मात पुत्रगण मोती राम, साकिनान महाल बखारण, तहसील थुनाग ..फरीक अव्वल।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 40/41, भारतीय, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908

दिनांक 1-1-1977 मुतवफी मोती राम पुत्र भागचन्द, साकिन बखारण, इलाका कान्ढी मुहाह, तहसील थुनाग।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त वसीयत नामा के पंजीकृत होने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 01-8-1990 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जायगा।

आज दिनांक 26 जून, 1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
उप-पंजीकाध्यक्ष,
तहसील थुनाग, जिला मण्डी।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 2 जून, 1990

संख्या सिंचाई-11-22/87-मण्डी.—कृपया इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 1-2-88 द्वारा जारी की गई मुहाल टिकर कलां, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना व समसंख्यक पत्र दिनांक 3-6-1988 द्वारा जारी की गई उक्त मुहाल के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 व 7 की अधिसूचना में दर्शाये गए रकबे व नम्बरान खसरा के बजाये नीचे सूची में दर्शाये गये शुद्ध रकबा व नम्बरान खसरा सही पढ़ा जाये तथा उक्त अधिसूचनाओं में दर्शाया गया कुल रकबा 42-10-15 बिघे किता 69 के स्थान पर कुल रकबा 14-19-5 बिघे किते 55 पढ़ा जाये।

विवरणी इस प्रकार है

तहसील : सदर मण्डी जिला : मण्डी

नाम महाल	उक्त अधिसूचनाओं में दर्शाया गया रकबा व नम्बरान खसरा		शुद्ध रकबा व नम्बरान खसरा	
	नम्बर खसरा	रकबा बीघों में	नम्बर खसरा	रकबा बीघों में
1	2	3	4	5
टिकर कलां/297	60/1	0 1 12	—	—
	89/1	0 4 10	89/1	0 0 10
	89/2	0 10 12	89/2	0 1 2
	90/1	3 4 2	90/1	0 17 9
	93/1	1 13 14	93/1	0 13 16
	94/1	0 1 4		—
	133/1	0 5 9	133/1	0 0 14
	135/1	0 1 0	—	—
	281/1	0 7 10	281/1	0 0 14
	232/1/1	0 5 8	232/1/1	0 1 15
	232	0 3 0	232	0 3 0
	228/1	0 15 14	228/1	0 4 10
	229/1	0 4 16	229/1	0 4 12
	229/2	0 1 4	229/2	0 0 4
	742/247/1	0 3 0	742/247/1	0 3 5
	248/1	1 6 0	248/1	0 7 4
	250/1	0 19 10	250/1	0 3 1
	251/1	0 7 11	251/1	0 6 10
	256/1	1 14 2	256/1	0 15 12
	258/1	0 11 9	258/1	0 4 8
	258/2	0 7 8	258/2	0 2 2
	259/1	0 6 10	259/1	0 2 6
	260	0 1 15	—	—
	261/1	0 19 1	261/1	0 6 12
	263/1	0 3 0	263/1	0 1 2
	263/2	0 6 2	—	—
	264/1	0 7 13	264/1	0 1 15
	265	0 1 18	265/1	0 1 5
	266/1	0 4 0	266/1	0 0 11

1	2	3	4	5
	267/1	0 3 10	267/1	0 0 9
	268/1	0 3 11	268/1	0 1 10
	353/1	0 9 0	353/1	0 5 9
	354/1	0 16 8	354/1	0 6 18
	355/1	0 16 6	355/1	0 4 10
	358/1	0 11 3	358/1	0 5 0
	360/1	0 7 3	360/1	0 4 14
	361	0 6 12	361/1	0 0 9
	363/1	0 1 10	—	—
	364/1	0 11 12	364/1	0 2 15
	365/1	0 5 8	365/1	0 2 6
	366/1	0 2 16	366/1	0 0 5
	599/1	0 16 4	599/1	0 3 12
	603/1	0 1 13	—	—
	604	0 7 16	604/1	0 6 0
	605/1	0 3 6	605/1	0 2 18
	745/610	2 2 4	745/610/1	0 11 10
	746/610/1	0 4 0	—	—
	611/1	0 14 9	611/1	0 6 6
	749/623/1	0 2 10	—	—
	750/623/1	0 1 16	—	—
	752/623/1	0 2 14	—	—
	753/624/1	1 2 8	753/624/1	0 14 10
	657/1/1	0 3 5	—	—
	659/1	2 13 2	659/1	1 9 19
	—	—	652/2	0 0 18
	660	0 1 10	660	0 1 10
	663/1	2 19 1	663/1	0 9 5
	672/1	0 6 10	672/1	0 0 15
	673/1	0 7 5	673/1	0 5 5
	674/1	2 18 6	679/1	0 14 11
	675/1	0 0 9	—	—
	694/1	1 2 0	694/1	0 4 19
	694/2	2 1 1	694/2	0 14 13
	697/1	0 5 8	697/1	0 0 15
	698/1	0 2 6	—	—
	699	0 14 13	699/1	0 6 6
	700/1	0 14 8	700/1	0 7 4
	701/1	0 10 14	701/1	0 7 4
	713/1	0 15 19	713/1	0 8 11
	714	0 0 16	—	—
	जोड़ किता..	69 42 10 15	किता..	55 14 19 5

आदेश द्वारा,

अ० कु० महोपात्र,
सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

भाग-2

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KULLU (HIMACHAL PRADESH)

ORDER

Kullu, the 29th September, 1987

No. 1801-1900/R/87—In exercise of the powers vested in me *vide* section 7(1) of the suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 and subsequent rules made thereunder, I, P. K. Monga, District Magistrate, Kullu, do hereby declare all Hotels including, Hotels of H. P. T. D. C., PWD Rest Houses and Circuit Houses as also the Guest Houses/Transit accommodation of all departments/corporations/Autonomous bodies situated with in the District of Kullu as public places for the purpose of the said act, with immediate effect.

P. K. MONGA,
District Magistrate, Kullu.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।